



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 120 राँची, सोमवार,

15 फरवरी, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

11 फरवरी, 2021

विषय:-“शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित तालाबों, सैरात का सुरक्षित जमा निर्धारण एवं सैरात की बन्दोबस्ती हेतु प्रक्रिया” की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-8/बन्दो./02/2019/न.वि.आ./ 511-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-126 (ख) में किए गए प्रावधान के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में अवस्थित सार्वजनिक जलाशय, सरिताएँ, जलागार एवं कुप नगरपालिका की सम्पति है।

- उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4125, दिनांक-17.01.2013 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में पड़ने वाले सार्वजनिक जलाशय, सरिताएँ, जलागार एवं कुप को संबंधित विभाग द्वारा नगर निकायों को छः माह के अंदर हस्तांतरण अथवा छः माह के अन्दर संबंधित नगर निकायों में उक्त सम्पतियाँ निहित होने का प्रावधान किया गया।
- उपाध्यक्ष, राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, झारखण्ड सरकार के गै.स.प्रे.सं.-45 दिनांक-06.02.2019 के द्वारा ध्यानाकृष्ट कराया गया कि नगर निकायों में अवस्थित तालाबों/जलकरों की बंदोबस्ती एवं डाक गैर मछुआरों व ठेकेदारों को सौंपने से मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के समक्ष रोजगार एवं रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है एवं सुझाव दिया गया कि सभी शहरी

स्थानीय निकायों में अवस्थित तालाबों/जलकारों की बन्दोबस्ती एवं डाक में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ किए जाए।

उक्त सुझाव पर सभी नगर निकायों से शहरी क्षेत्र में अवस्थित तालाबों की बन्दोबस्ती से प्राप्त राजस्व की सूचना मांगी गई। प्राप्त सूचनानुसार 16 निकायों में अधिकांश तालाब नगर निकायों को हस्तांतरित नहीं है। कुछ एक हस्तांतरित तालाबों से बहुत कम राजस्व की प्राप्ति होती है जो राज्यहित में नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार ही तालाबों की बन्दोबस्ती मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा की जाती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एकरूपता बनाए रखने एवं एक ही नीति के तहत बन्दोबस्ती किया जाना श्रेयस्कर होगा।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों की भांति शहरी क्षेत्रों में तालाब, सैरात की बन्दोबस्ती कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही संबंधित बन्दोबस्ती मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के बीच करने का प्रस्ताव है।

4. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में शहरी स्थानीय निकायों में अवस्थित सार्वजनिक तालाबों एवं जलागार की बन्दोबस्ती में स्थानीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति को प्राथमिकता दिये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित कार्यवाई की जाएगी:-

(क) जमा राशि का निर्धारण

- i. जलकरों का वार्षिक सुरक्षित जमा निर्धारण उनकी वार्षिक उत्पादकता के मूल्य के आधार पर की जायेगी। 4 हेक्टर तक के जलकर का वार्षिक जमा निर्धारण, वार्षिक उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत, तथा 4 हेक्टर से बड़े और खुले जलकर का तथा जलाशयों का वार्षिक जमा निर्धारण कुल वार्षिक उत्पादन मूल्य के 5 प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक तीन वर्षों पर किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप एक एकड़ के तालाब का वार्षिक उत्पादन अगर 800 किलोग्राम निर्धारित किया जाता है, तो औसतन 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल उत्पादित मछली का मूल्य 1,20,000/-रुपये होगा। इसके आधार पर इसका वार्षिक जमा निर्धारण 10 प्रतिशत अर्थात् 12,000/-रुपये होगा। इस प्रकार प्रत्येक तीन वर्ष के लिए वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा, और उसी के अनुरूप प्रत्येक तीन वर्ष पर जलकर के वार्षिक जमा को संशोधित किया जायेगा। निर्धारित वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य उपलब्धि की जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।

जलकरों के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा कि सभी जलकरों का भौतिक सर्वेक्षण कराकर प्रत्येक जलकर की पूर्ण स्थिति शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर एक स्थायी पंजी में संधारित की जाए और उत्पादकता के आधार पर इसका वर्गीकरण भी किया जाए।

2,00,000/- रुपये तक वार्षिक जमा वाले जलकरों का जमा निर्धारण निकाय स्तर पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तथा 2,00,000/-रुपये से ऊपर के वार्षिक जमा वाले जलकरों का जमा निर्धारण उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

ii. निकाय स्तर पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में जमा निर्धारण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

- | | | |
|--|---|---------|
| (1) नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| (2) सरकार द्वारा मनोनीत मत्स्य-जीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (3) सरकार द्वारा मनोनीत मत्स्य पालक के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (4) निदेशक (मत्स्य) के द्वारा नामित प्रतिनिधि। | - | सदस्य |

उपरोक्त समिति जलकरों की भौतिक स्थिति, मिट्टी एवं जल की उत्पादकता से संबंधित आंकड़े, पिछले वर्षों में प्राप्त उत्पादन तथा आय और पूर्व में किये गये विकास कार्यों तथा इसपर हुए व्यय को देखते हुए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित कर कुल उत्पादन मूल्य के आधार पर ऊपर कंडिका में वर्णित निदेश के अनुरूप अधिकतम 2,00,000/-रूपये वार्षिक जमा वाले जलकरों का जमा निर्धारित करेगी।

iii. 2,00,000/-रूपये से ऊपर के वार्षिक जमा वाले जलकरों के जमा निर्धारण हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

- | | | |
|--|---|---------|
| (1) उपायुक्त | - | अध्यक्ष |
| (2) सरकार द्वारा मनोनित मत्स्य-जीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (3) सरकार द्वारा मनोनित मत्स्य पालक के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (4) निदेशक (मत्स्य) के द्वारा नामित प्रतिनिधि। | - | सदस्य |
| (5) नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी | - | सदस्य |

उपायुक्त स्तर पर गठित समिति की बैठक हेतु संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अपने अधीनस्थ जलकरों के जमा निर्धारण के संबंध में जलकर की भौतिक स्थिति, पिछले वर्षों में प्राप्त उत्पादन एवं आय, जल एवं मिट्टी की उत्पादकता से संबंधित आंकड़े तथा विगत वर्षों में किये गये विकास कार्य एवं इनपर किये गये व्यय से संबंधित सूचनाओं के साथ प्रस्ताव समिति के विचारार्थ रखेंगे।

(ख) बन्दोबस्ती की प्रक्रिया:-

i. 4 हेक्टर से बड़े सभी जलकरों/जलाशयों तथा 4 हेक्टर एवं उससे छोटे वैसे जलकर, जिनकी दीर्घकालीन बन्दोबस्ती नहीं की गई है, की बन्दोबस्ती निकाय स्तर पर गठित मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के साथ निर्धारित वार्षिक सुरक्षित जमा पर की जायगी, वशर्त समिति निर्धारित जमा पर बन्दोबस्ती लेने के लिए तैयार हो और समिति के पास पूर्व की सरकारी बकाया राशि नहीं हो। समिति के पास पूर्व राजस्व बकाया की जांच उस कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा किया जायगा, जहां से जलकरों की बन्दोबस्ती का प्रस्ताव प्रारम्भ किया जाता है। नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी समिति के अद्यतन लेखे का अंकेक्षण, समिति के आम सभा की बैठक, कार्यकारिणी समिति का चुनाव समय पर होने की सम्पुष्टि या समिति के यहां सरकारी राशि का बकाया है या नहीं, की जांच करेंगे तथा बन्दोबस्ती प्रस्ताव में स्पष्ट रूप में अंकित करेंगे।

- ii. अगर समिति निर्धारित जमा पर बन्दोबस्ती लेने की अनिच्छा व्यक्त करती है तो उसी हालत में जलकर की बन्दोबस्ती विस्तृत सूचना प्रकाशन के बाद खुली डाक से की जायगी। वैसे जलकर जिसका वार्षिक निर्धारित जमा

2,00,000/-रूपये से ऊपर है उसकी डाक की सूचना राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशन के बाद किया जायगा।

2,00,000/- रूपये से कम वार्षिक जमा निर्धारण वाले जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु सूचना की विस्तृत सूचना, निकाय के सूचना पटल में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही, 2,00,000/- रूपये से कम वार्षिक जमा वाले जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु आम डाक की सूचना 15 (पंद्रह) दिनों पूर्व निर्गत किया जाएगा एवं इसकी सूचना मत्स्यजीवी सहयोग समिति, झारखण्ड राज्य मत्स्य सहकारी संघ (झास्कोफिश), राँची एवं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को भी प्रचार के लिए संसूचित किया जाएगा।

- iii. मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ जलकर बन्दोबस्ती हेतु सहायक निबंधक सहकारी समितियों/जिला सहाकारिता पदाधिकारी के द्वारा स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के समय निम्न वर्णित बिन्दुओं के आलोक में तत्संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाएंगे:-

(क) जलकर बन्दोबस्ती का आवेदन देने वाली मत्स्यजीवी सहयोग समिति अधिनियम में विहित प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत कार्यरत हो।

(ख) समिति के पास पूर्व का बकाया नहीं हो।

(ग) समिति के द्वारा सामान्य लेखा प्रणाली (Common Accounting System) के अंतर्गत लेखा संधारण किया जा रहा हो।

(घ) समिति का पूर्व वर्ष तक वार्षिक लेखा अंकेक्षित हो।

- iv. यदि कोई जलकर एक से अधिक मत्स्यतजीवी सहयोग समिति के क्षेत्राधिकार में अवस्थित हो तथा सभी ऐसी समितियाँ बन्दोबस्ती की अर्हता पूरी करती हों, तो वैसी स्थिति में इन समितियों के बीच सीमित डाक कराकर उच्चतम बोली लगाने वाली समिति के साथ जलकर की बन्दोबस्ती की जाएगी।

- v. जलकरों की बन्दोबस्ती की स्वीकृति की प्रत्याशा में औपबंधिक परवाना निर्गत किया जा सकता है, बशर्ते बन्दोबस्ती का प्रस्ताव निर्धारित जमा या उससे अधिक राशि पर हो। यदि बन्दोबस्ती का प्रस्ताव निर्धारित जमा से कम हो, तो उस जलकर का दोबारा डाक किया जायगा। अगर सम्यक् प्रयासों के बावजूद बन्दोबस्ती की राशि सुरक्षित जमा से कम होती है, तो इस मामले को सुरक्षित जमा निर्धारण समिति के साथ पुनर्विचार हेतु रखा जायगा एवं समिति की अनुशंसा के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जायगी।

- vi. बन्दोबस्ती की प्रक्रिया, पूर्व की बन्दोबस्ती अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व प्रारंभ की जायगी जिससे बन्दोबस्ती की स्वीकृति समय पर दी जा सके और परवाना भी समय पर निर्गत किया जा सके।

- vii. राजस्व की वसूली और वसूल की गयी राशि समय पर कोषागार में जमा किए जाने की समीक्षा उपायुक्त द्वारा की जाएगी।

- viii. यदि पट्टेदार द्वारा पट्टे की राशि समय पर जमा करने में शिथिलता बरती जा रही हो तो कारण बताओं नोटिस देकर बन्दोबस्ती रद्द कर दी जायगी और इसकी सूचना विभाग को दी जायगी।

- ix. जलकरों की बन्दोबस्ती की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करने के बाद एकरारनामा एवं उसके निबंधन की कार्यवाई नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा सम्पन्न की जाएगी।

(ग) जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।

क्र०	सक्षम प्राधिकार	बन्दोबस्ती की राशि
1.	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक मत्स्य निदेशक प्रसार पदाधिकारी जमशेदपुर एवं तेनुघाट।	2.00 लाख रुपये तक वार्षिक जमा निर्धारण वाले जलकरों की बन्दोबस्ती।
2.	निदेशक मत्स्य	2.00 लाख रुपये से ऊपर वार्षिक निर्धारित जमा वाले जलकरों की बन्दोबस्ती जिला समाहर्ता के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से की जाएगी

(घ) बन्दोबस्ती अवधि एवं राजस्व वसूली की प्रक्रिया।

मत्स्य उत्पादन हित में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ सामान्यतः 03(तीन) वर्षों के लिए जलकर की बन्दोबस्ती की जायेगी।

सभी प्रकार के जलकरों की बन्दोबस्ती 1 अप्रैल से ही की जायगी। जलकरों की बन्दोबस्ती के संबंध में समिति से एक वर्ष के राजस्व की एक तिहाई राशि परवाना निर्गत करने के पूर्व, दूसरी तिहाई राशि 31 जुलाई तक, तथा शेष तिहाई 31 जनवरी तक वसूल की जायगी। अगर जलकर की बन्दोबस्ती खुली डाक से व्यक्ति विशेष के साथ की जायगी तो एक वर्ष की बन्दोबस्ती राशि का आधा भाग परवाना निर्गत करने के पूर्व एवं शेष आधी राशि दो बराबर किस्तों में तीन माह के अन्तराल पर जमा करना होगा। जलकरों की बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि की वसूली नगर निकाय द्वारा की जायगी एवं प्राप्त राजस्व नगरपालिका निधि में जमा किया जाएगा।

- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-03.02.2021 की बैठक के मद संख्या 30 में इसकी स्वीकृति दी गई है।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।